

प्रेषक,

इन्द्र राज सिंह,
अनु सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2011

विषय: मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय मद में वित्तीय स्वीकृति की द्वितीय किश्त निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म0भ0प्रा0/2237/2011-12 दिनांक 5-9-2011 के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-3026/79-6-2009 दिनांक 26-12-2009 के द्वारा कुक कम हेल्पर को रू0 1000/- प्रतिमाह प्रतिरसोइया की दर पर मानदेय के रूप में भुगतान किए जाना निर्धारित किया गया है जिसमें केन्द्रीय सहायता रू0 750/- एवं राज्यांश रू0 250/- प्रति रसोइया होगा। अतएव भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 750/- प्रति रसोइया की दर पर जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी संख्या के आधार पर केन्द्रांश के रूप में रू0 6371.7675 लाख (रूपये तिरसठ करोड़ इकहत्तर लाख छियत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू0 2123.9225 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ तेइस लाख बान्न्वे हजार दो सौ पचास मात्र) अर्थात् कुल रू0 8495.690 लाख (रूपये चौरासी करोड़ पन्चानवे लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय कुक कम हेल्पर को निर्धारित दर से मानदेय अथवा वास्तव में भुगतान किए गये मानदेय, जो भी कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

2- इस धनराशि के लेखों के रख-रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन-तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाएंगे।

3- जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में मध्याह्न भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा जबकि एनजीओ, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खातों में उपलब्ध कराया जाएगा।

4- मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक- कम- हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक-कम-हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5- उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-112-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-03- कुकिंग लागत आदि (के.75/रा.25-के रा0)-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-1524/दस-2011 दिनांक 19-9-11 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(इन्द्र राज सिंह)
अनु सचिव ।

पृष्ठांकन समसंख्यक(1)तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
- 2- श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर ।
- 3- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ ।
- 4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 5- वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग ।
- 6- नियोजन विभाग अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
- 7- वित्त ई-11 अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 8- बजट अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
- 9- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
- 10- संबंधित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
- 11- संबंधित समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, /जिला विद्यालय निरीक्षक उ0प्र0 ।
- 12- संबंधित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग ।
- 13- राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(इन्द्र राज सिंह)
अनु सचिव ।

प्रेषक,

इन्द्र राज सिंह,
अनु सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा (6) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2011

विषय: मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय मद में वित्तीय स्वीकृति की द्वितीय किश्त निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म0भ0प्रा0/2237/2011-12 दिनांक 5-9-2011 के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-3026/79-6-2009 दिनांक 26-12-2009 के द्वारा कुक कम हेल्पर को रू0 1000/- प्रतिमाह प्रतिरसोइया की दर पर मानदेय के रूप में भुगतान किए जाना निर्धारित किया गया है जिसमें केन्द्रीय सहायता रू0 750/- एवं राज्यांश रू0 250/- प्रति रसोइया होगा । अतएव भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 750/- प्रति रसोइया की दर पर जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी संख्या के आधार पर केन्द्रांश के रूप में रू0 6371.7675 लाख (रूपये तिरसठ करोड़ इकहत्तर लाख छियत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू0 2123.9225 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ तेइस लाख बान्न्वे हजार दो सौ पचास मात्र) अर्थात् कुल रू0 8495.690 लाख (रूपये चौरासी करोड़ पन्चानवे लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय कुक कम हेल्पर को निर्धारित दर से मानदेय अथवा वास्तव में भुगतान किए गये मानदेय , जो भी कम हो, तक सीमित रखा जायेगा ।

2- इस धनराशि के लेखों के रख-रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन-तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

3- जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में मध्याह्न भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा जबकि एनजीओ, वार्ड समिति , महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खातों में उपलब्ध कराया जाएगा ।

4- मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक- कम- हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक-कम-हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5- उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-112-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-03- कुकिंग लागत आदि (के.75/रा.25-के रा0)-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-1524/दस-2011 दिनांक 19-9-11 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(इन्द्र राज सिंह)
अनु सचिव ।

पृष्ठांकन समसंख्यक(1)तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
- 2- श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर ।
- 3- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ ।
- 4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 5- वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग ।
- 6- नियोजन विभाग अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
- 7- वित्त ई-11 अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 8- बजट अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
- 9- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
- 10- संबंधित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
- 11- संबंधित समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, /जिला विद्यालय निरीक्षक उ0प्र0 ।
- 12- संबंधित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग ।
- 13- राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 14- गार्ड फाइल ।

अज्ञा से,

(इन्द्र राज सिंह)
अनु सचिव ।

Enclosure of G O No. -1296/79-6-2011 दिनांक 20-9-2011

[Mid Day Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-Helpers
FY 2011-12: Grant -71 PLAN
2nd Installment - Central & State Share (in Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (General category) working in 2010-11 as per information given by Districts in AWP	No. of months for which Funds are being released	Central Share Funds (@ Rs 750/cook/month) being released as 1st installment	State Share Funds (@ Rs 250/cook/month) being released as 1st installment	Total Funds being released as 1st Installment
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	AGRA	2529	3.5	66.38625	22.12875	88.515
2	ALIGARH	3115	3.5	81.76875	27.25625	109.025
3	ALLAHABAD	5672	3.5	148.89000	49.63000	198.520
4	AMBEDKAR NAGAR	3360	3.5	88.20000	29.40000	117.600
5	AURAIYA	2702	3.5	70.92750	23.64250	94.570
6	AZAMGARH	5551	3.5	145.71375	48.57125	194.285
7	BADAUN	4696	3.5	123.27000	41.09000	164.360
8	BAGHPAT	1076	3.5	28.24500	9.41500	37.660
9	BAHRAICH	6037	3.5	158.47125	52.82375	211.295
10	BALLIA	4077	3.5	107.02125	35.67375	142.695
11	BALRAMPUR	2073	3.5	54.41625	18.13875	72.555
12	BANDA	3567	3.5	93.63375	31.21125	124.845
13	BARABANKI	5646	3.5	148.20750	49.40250	197.610
14	BAREILLY	4776	3.5	125.37000	41.79000	167.160
15	BASTI	4029	3.5	105.76125	35.25375	141.015
16	BHADOHI	174	3.5	4.56750	1.52250	6.090
17	BIJNOR	3385	3.5	88.85625	29.61875	118.475
18	BULANDSHAHR	296	3.5	7.77000	2.59000	10.360
19	CHANDAULI	2609	3.5	68.48625	22.82875	91.315
20	CHITRAKOOT	2216	3.5	58.17000	19.39000	77.560
21	CSM NAGAR	3123	3.5	81.97875	27.32625	109.305
22	DEORIA	4694	3.5	123.21750	41.07250	164.290
23	ETAH	2517	3.5	66.07125	22.02375	88.095
24	FAIZABAD	3938	3.5	103.37250	34.45750	137.830
25	FARRUKHABAD	3855	3.5	101.19375	33.73125	134.925
26	FATEHPUR	3562	3.5	93.50250	31.16750	124.670
27	FIROZABAD	3118	3.5	81.84750	27.28250	109.130
28	G. B. NAGAR	98	3.5	2.57250	0.85750	3.430
29	GHAZIPUR	5939	3.5	155.89875	51.96625	207.865
30	GHAZIYABAD	181	3.5	4.75125	1.58375	6.335
31	GONDA	5319	3.5	139.62375	46.54125	186.165
32	GORAKHPUR	6008	3.5	157.71000	52.57000	210.280
33	HAMIRPUR	1735	3.5	45.54375	15.18125	60.725
34	HARDOI	7248	3.5	190.26000	63.42000	253.680

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (General category) working in 2010-11 as per information given by Districts in AWP	No. of months for which Funds are being released	Central Share Funds (@ Rs 750/cook/month) being released as 1st installment	State Share Funds (@ Rs 250/cook/month) being released as 1st installment	Total Funds being released as 1st Installment
1	2	3	4	5	6	7=5+6
35	HATHRAS	2237	3.5	58.72125	19.57375	78.295
36	ITAWAH	3454	3.5	90.66750	30.22250	120.890
37	J. P. NAGAR	1632	3.5	42.84000	14.28000	57.120
38	JALAUN	2803	3.5	73.57875	24.52625	98.105
39	JAUNPUR	3795	3.5	99.61875	33.20625	132.825
40	JHANSI	2548	3.5	66.88500	22.29500	89.180
41	KANNAUJ	3719	3.5	97.62375	32.54125	130.165
42	KANPUR DEHAT (RAMA BAI NAGAR)	2893	3.5	75.94125	25.31375	101.255
43	KANPUR NAGAR	2893	3.5	75.94125	25.31375	101.255
44	KASHIRAM NAGAR	1537	3.5	40.34625	13.44875	53.795
45	KAUSHAMBI	1957	3.5	51.37125	17.12375	68.495
46	KUSHINAGAR	4730	3.5	124.16250	41.38750	165.550
47	LAKHIMPUR KHERI	7370	3.5	193.46250	64.48750	257.950
48	LALITPUR	3213	3.5	84.34125	28.11375	112.455
49	LUCKNOW	1879	3.5	49.32375	16.44125	65.765
50	MAHOBA	1832	3.5	48.09000	16.03000	64.120
51	MAHRAJGANJ	3543	3.5	93.00375	31.00125	124.005
52	MAINPURI	3602	3.5	94.55250	31.51750	126.070
53	MATHURA	1076	3.5	28.24500	9.41500	37.660
54	MAU	2828	3.5	74.23500	24.74500	98.980
55	MEERUT	1209	3.5	31.73625	10.57875	42.315
56	MIRZAPUR	4359	3.5	114.42375	38.14125	152.565
57	MORADABAD	4283	3.5	112.42875	37.47625	149.905
58	MUZAFFARNAGAR	3529	3.5	92.63625	30.87875	123.515
59	PILIBHIT	2963	3.5	77.77875	25.92625	103.705
60	PRATAPGARH	5059	3.5	132.79875	44.26625	177.065
61	RAE BARELI	3631	3.5	95.31375	31.77125	127.085
62	RAMPUR	2543	3.5	66.75375	22.25125	89.005
63	SAHARANPUR	2596	3.5	68.14500	22.71500	90.860
64	SANT KABIR NAGAR	2652	3.5	69.61500	23.20500	92.820
65	SHAHJAHANPUR	4631	3.5	121.56375	40.52125	162.085
66	SHRAWASTI	2072	3.5	54.39000	18.13000	72.520
67	SIDDHARTH NAGAR	4129	3.5	108.38625	36.12875	144.515
68	SITAPUR	7074	3.5	185.69250	61.89750	247.590
69	SONBHADRA	2005	3.5	52.63125	17.54375	70.175
70	SULTANPUR	3614	3.5	94.86750	31.62250	126.490
71	UNNAO	4377	3.5	114.89625	38.29875	153.195
72	VARANASI	3546	3.5	93.08250	31.02750	124.110
TOTAL		242734		6371.7675	2123.9225	8495.690

